प्रशासनिक कार्यालय जनपद न्यायाधीश, सम्भल, स्थित चन्दौसी।
प्रशासनिक आदेश सं0-54/2020 **दिनांक 03/08/2020**

<u>आदेश</u>

जिलाधिकारी, सम्भल की ओर से अपर जिलाधिकारी(वि0/रा0), सम्भल का पत्र सं0-1420/एस0टी0/कोविड-19/सूचना/2020-21, दिनांकित 02.08.2020 ई-मेल के माध्यम से दिनांक 02.08.2020 को रात्रि में समय 08.50 बजे प्राप्त हुआ है, जिसमें यह उल्लिखित किया गया है कि श्री श्वेतांक चौहान(न्यायिक मजिस्ट्रेट), सम्भल स्थित चन्दौसी निवासी एस.बी.आई. कॉलोनी, चन्दौसी, सम्भल स्थित चन्दौसी, जिनका सैम्पल कोविड-19 के टेस्ट हेतु दिनांक 30.07.2020 को लिया गया था, इनकी जांच रिपोर्ट दिनांक 02.08.2020 को पॉजिटिव आने के कारण शासनादेश संख्या-1324/सेक-पांच-5-2020, दिनांक 23.06.2020 के अनुसार जनपद न्यायालय सम्भल स्थित चन्दौसी को सैम्पल लिये जाने की दिनांक 30.07.2020 से 12.08.2020 तक कन्टेनमेन्ट जोन में बने रहने के सम्बन्ध में आख्या प्रस्तुत की गयी है। पत्र के साथ मुख्य चिकित्साधिकारी, सम्भल द्वारा जिलाधिकारी, सम्भल को सम्बोधित उपरोक्त आशय के पत्र दिनांकित 02.08.2020 की प्रति भी संलग्न की गयी है। अतः उपरोक्त आख्या के प्रकाश मे जनपद न्यायालय सम्भल स्थित चन्दौसी दिनांक 04.08.2020 से दिनांक 12.08.2020 तक कन्टेनमेन्ट जोन की अवधि के दौरान माननीय उच्च न्यायालय के पत्र सं0-1298/LXXXVII-CPC/e-Courts/Allahabad/Dated:28 July 2020 में दिये गये दिशा-निर्देश के अनुसार **निम्नलिखित व्यवस्था** के अनुसार निम्नांकित न्यायालय निम्नांकित न्यायिक कार्य वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से सम्पादित करेंगे।

1. माननीय उच्च न्यायालय के दिशा-निर्देश के अनुसार जनपद न्यायालय, सम्भल में निम्नलिखित न्यायलय वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्य करेंगे-

ए. सत्र न्यायाधीश
बी. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश(विद्युत अधिनियम)
सी. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, पॉक्सो एक्ट
डी. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश गैंगेस्टर/एन.डी.पी.एस./एस.सी. एस.टी.एक्ट./एम.पी.एम.एल.ए. एक्ट.
ई. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
एफ. सिविल जज(सी0 डि0)
जी. सिविल जज(जू0 डि0) ;

2. माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार उपरोक्त न्यायालयों द्वारा उक्त अवधि में केवल निम्न उल्लिखित कार्य सम्पादित किये जायेंगे-

ए. लम्बित/नवीन जमानत प्रार्थना-पत्र
बी. लम्बित एवं नवीन अग्रिम जमानत प्रार्थना-पत्र।
सी. आवश्यक प्रकृति के प्रकीर्ण फौजदारी प्रार्थना-पत्रों का निस्तारण।
डी. आवश्यक प्रकृति के ऐसे सिविल प्रार्थना -पत्र जो व्यादेश (Injunction)से सम्बन्धित हों, का निस्तारण।
ई. विचाराधीन बन्दियों के रिमाण्ड/न्यायिक कार्य।
एफ. ऐसे अन्य मामले, जिसे जनपद न्यायाधीश उचित समझे।

3. जनपद न्यायालय की डेडिकेटेड ई-मेल districtcourtsambhal@gmail.com पर ही जमानत प्रार्थना-पत्र एवं अग्रिम जमानत प्रार्थना -पत्र तथा आवश्यक प्रार्थना -पत्र प्राप्त किये जायेंगे। वादकारीगण एवं अधिवक्तागण की सहायता हेतु डेडीकेटेड हेल्पलाइन टेलीफोन नं0-05921252119 सृजित किया गया है, जिसकी सूचना जनपद न्यायालय के वेबसाइट पर उपलब्ध है।

4. ई-मेल से प्राप्त उपरोक्त प्रार्थना -पत्रों पर अधिवक्ता और वादकारी का विवरण मो0नं0/ई-मेल आई.डी. सहित दिया जाना आवश्यक होगा।

5. कम्प्यूटर अनुभाग ई-मेल के द्वारा प्राप्त ऐसे जमानत प्रार्थना-पत्रों को डाउनलोड करते हुए आवश्यक लिस्ट जेनरेट करेंगे।

6. कम्प्यूटर अनुभाग ऐसे प्रार्थना-पत्रों को सी.आई.एस. पर पंजीकृत किया जाना सुनिश्चित करेगा, यदि प्रार्थना-पत्र में कोई त्रुटि हो तो उसी दिन सम्बन्धित अधिवक्ता को सूचित किया जायेगा।

7. ऐसे मामले जिनमें कोई त्रुटि नहीं है, उनको सी.आई.एस. कॉज लिस्ट में 48 घण्टे के उपरान्त दर्ज किया जायेगा।

8. केवल आवश्यक प्रकृति के प्रार्थना–पत्रों को डी.सी.आई.एस.कॉज लिस्ट में दर्ज किया जायेगा तथा **अन्य केसेस में सामान्य तिथियां नियत की जायेंगी।** जमानत प्रार्थना–पत्र/अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्रों की प्रति अभियोजन पक्ष/डी.जी.सी. के ई–मेल आई.डी. या व्हाट्सएप्प मो0 नं0 पर ही प्रदान की जायेगी।

9. ई–मेल से प्राप्त प्रार्थना–पत्र एवं लम्बित रिकार्ड न्यायिक अधिकारी को वीडियो कान्फ्रेंसिंग से कार्य कर रहे न्यायिक कार्य हेतु न्यायिक अधिकारीयों के आवासीय कार्यालय में प्रदान की जायेगी। न्यायालय की कार्यवाही हेतु (JITSI) वीडियो कान्फ्रेंसिंग सोफ्टवेयर का प्रयोग किया जायेगा।

10. सम्बन्धित अधिवक्तागण/अभियोजन पक्ष के साथ न्यायिक अधिकारी द्वारा न्यायिक कार्य किये जाने हेतु लिंक शेयर किया जायेगा।

11. विद्वान अधिवक्तागण एवं अभियोजन पक्ष लिंक के माध्यम से वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिये न्यायालय परिसर के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान से दिये गये टाइम स्लॉट के अनुसार न्यायालय की कार्यवाही में भाग ले सकेंगे।

12. मजिस्ट्रेट न्यायालय से सम्बन्धित विचारीधीन बन्दियों के न्यायिक कार्य/रिमाण्ड एवं जमानत–प्रार्थना–पत्रों के सत्यापन, निर्मुक्ति आदेश(Release order) से सम्बन्धित कार्य सप्ताह में सोमवार एवं शुक्रवार को सिविल जज(जू0 डि0) द्वारा सम्पादित किया जायेगा एवं सप्ताह में मंगलवार, बुद्धवार एवं बृहस्पतिवार को ए0 सी0 जे0 एम, चन्दौसी द्वारा सम्पादित किया जायेगा। सत्र न्यायालय से सम्बन्धित विचाराधीन बन्दियों के न्यायिक कार्य/रिमाण्ड एवं जमानत प्रार्थना–पत्रों के सत्यापन, निर्मुक्ति आदेश(Release order) से सम्बन्धित कार्य अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश(रेप एण्ड पॉक्सो) द्वारा सम्पादित किया जायेगा।

13. **न्यायालय परिसर में विद्वान अधिवक्तागण एवं वादकारियों का प्रवेश पूर्णतया प्रतिबन्धित होगा।**

सभी सम्बन्धित को अनुपालन हेतु सूचित किया जाये। इस आदेश की एक प्रति जनपद न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड की जाये एवं एक प्रति जिला सूचनाधिकारी को दैनिक समाचार पत्रो में प्रकाशित किये जाने हेतु प्रेषित की जाये।

AKTripathi 03/08/2020
(अश्विनी कुमार त्रिपाठी)
जनपद न्यायाधीश,
सम्भल स्थित चन्दौसी

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. समस्त पीठासीन न्यायिक अधिकारीगण,
2. जिलाधीकारी, सम्भल,
3. पुलिस अधीक्षक, सम्भल,
4. मुख्य चिकित्साधिकारी, सम्भल
5. अध्यक्ष/सचिव, चन्दौसी, बार एसोसिएशन, चन्दौसी(सम्भल)
6. अध्यक्ष/सचिव, व्यवहार एवं सत्र बार एसोसिएशन, चन्दौसी, जिला सम्भल,
7. जिला शासकीय अधिवक्ता(फौजदारी), सम्भल,
8. संयुक्त निदेशक अभियोजन, सम्भल,
9. अधीक्षक, जिला कारागार मुरादाबाद।

AKTripathi
जनपद न्यायाधीश,
सम्भल स्थित चन्दौसी।